राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2136 / 2025

धर्मेन्द्र विश्नोई –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

दिनांक :– 20.05.2025

समक्ष :– **विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल–I के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोको की ढाणी, रामनगर पंचायत समिति कल्याणपुर जिला बालोतरा में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोको की ढाणी थोपा जिला बालोतरा में अध्यापक एल–I के पद पर अधिशेष मानते हुए समायोजित किया गया है उक्त विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा से क्रमोन्त होकर माध्यमिक शिक्षा के अधीन हो गई है। जबकि अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग का कर्मचारी है एवं आज दिनांक तक अपीलार्थी की 6डी नहीं हुई है। फिर भी उसे अनुचित रूप से माध्यमिक शिक्षा के सेटअप में समायोजित किया गया है। जो कि विधि विरूद्ध है।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन का मनन किया।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I के पद पर हुई है और वर्तमान में भी अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I के पद पर ही कार्यरत है अपीलार्थी की अभी तक 6डी नहीं हुई है। आलोच्य आदेश दिनांक 07'12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बालोतरा द्वारा अधिशेष मानते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय बोको की ढाणी थोपा जिला बालोतरा में समायोजन किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान

अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रारंभिक शिक्षा का कार्मिक है और उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन करने के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा ही सक्षम है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में किसी भी विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

6. प्रस्तुत प्रकरण में हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का कार्मिक है एवं मूल विभाग के किसी विद्यालय में पदस्थापन चाहता है। अतः हम प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करते है कि अपीलार्थी प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कार्मिक होने से उसे वर्तमान पदस्थापन स्थान से निकटतम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I की किसी रिक्त पर पर पदस्थापित करने की कार्यवाही एक माह में की जावे। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) बालोतरा भी प्रत्यर्थीगण के साथ इस कार्यवाही को सुनिश्चित करेंगें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण की पालना में स्थानान्तरण आदेश जारी करने पर राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रतिबंध आदेश बाधक नहीं होगा।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवडा) **सदस्य**	**(विकास सीतारामजी भाले)** **अध्यक्ष**